



भारत में आंतरिक प्रवासियों के बेहतर समावेश हेतु भारत में आंतरिक प्रवासन पहल

नीति सार

unicef 

के सहयोग से


United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

| सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी)



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

भारत में आंतरिक प्रवासियों के बेहतर समावेश हेतु नीति सार

अक्टूबर 2012

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रकाशित
यूनेस्को हाउस, बी-5/29 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली 110029, भारत
एवं

यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड
यूनिसेफ भारतीय कार्यालय, 73 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली 110 003, भारत

डिजाइन एवं मुद्रक: लोपेज़ डिजाइन

हिन्दी अनुवाद: अजीविका ब्यूरो (नवम्बर, 2013)

फोटोग्राफी

मुख्य पृष्ठ

© यूनेस्को/एस. तिवारी

© यूनेस्को एवं यूनिसेफ

सर्वाधिकार सुरक्षित

आईएसबीएन 978-81-89218-46-1

इस प्रकाशन में यूनेस्को एवं यूनिसेफ की ओर से किसी देश, राज्य, शहर या नियोजित अधिकारियों के पदनाम एवं सामग्री की कानूनी स्थिति तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण की प्रस्तुति के बारे में कोई अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता है।

लेखक इस प्रकाशन में निहित तथ्यों के चयन एवं प्रकाशन एवं इसके अंतर्गत व्यक्त किए गए विचार के लिए जिम्मेदार हैं जो यूनेस्को और यूनिसेफ के लिए आवश्यक नहीं हैं और संगठन के साथ प्रतिबद्ध नहीं है।

इस प्रकाशन में प्रकाशित किसी भी तथ्य को यूनेस्को और यूनिसेफ की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

इस प्रकाशन के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

मरीना फेटानिनी
कार्यक्रम विशेषज्ञ
सामाजिक और मानव विज्ञान
यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय
बी-5/29 सफदरजंग एन्क्लेव
नई दिल्ली 110029, भारत
दूरभाष: + (91) 11 26713000
फैक्स: + (91) 11 26713001/3002
ईमेल: newdelhi@unesco.org
वेबसाइट: www.unesco.org/newdelhi

रम्या सुब्रमण्यम
सामाजिक नीति विशेषज्ञ
सामाजिक नीति, योजना, निगरानी और मूल्यांकन
यूनिसेफ भारत
73 लोदी एस्टेट
नई दिल्ली 110003, भारत
दूरभाष: + (91) 11 24690401
फैक्स: + (91) 11 24627521
ई मेल: newdelhi@unicef.org
वेबसाइट: www.unicef.org/india

भारत में मुद्रित

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा समर्थित।



भारत में आंतरिक प्रवास/पलायन का सिंहावलोकन

मुख्य संदेश

किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सरहदों के पार प्रवास की तुलना में देश के विभिन्न भागों में प्रवास/पलायन कहीं अधिक व्यापक है। आंतरिक पलायन में आर्थिक विकास, सामाजिक सम्बन्धता व शहरी विविधता में योगदान दे पाने की भारी संभावना भी है। आंतरिक प्रवास देश के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का अपरिहार्य घटक है। संभागीय असंतुलनों व श्रमिकों की कमी के चलते, सुरक्षित प्रवास का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उसका अधिकतम लाभ पाया जा सके। किन्तु एक सुसंगत नीतिगत ढांचे तथा रणनीति के अभाव में पलायन करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत खराब श्रम व्यवस्थाओं और कार्य स्थितियों के साथ आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं भोजन आदि तक उनकी पहुंच में आने वाली बाधाओं के रूप में होती है।

चुनौतियाँ

प्रवासी 'घुमन्तु' व अदृश्य आबादी का हिस्सा होते हैं जो स्रोत और गन्तव्य क्षेत्रों में आते-जाते रहते हैं तथा समाज के हाशिए पर रहते हैं। भारत में सरकार ने आंतरिक प्रवास को निचले स्तर की प्राथमिकता दी है और भारत सरकार की नीतियाँ इस सवेदनशील समूह को किसी भी प्रकार की कानूनी या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने में मोटे तौर पर असफल रही हैं।

- आंतरिक प्रवास/पलायन की व्यापकता, उसकी प्रकृति तथा विस्तार संबंधी आंकड़ों की गंभीर कमी है। जनगणना जैसे स्थूल डेटाबेस अल्पकालिक पलायनकर्ताओं की आवाजाही को सही तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं और पलायन के गौण कारणों को दर्ज नहीं करते। जिस प्रकार पलायन को परिभाषित किया जाता है उसमें विश्लेषणात्मक परिष्कार का अभाव है, जिसके चलते प्रवासियों के लिए सेवाओं को रूप देने और उन्हें प्रदान करने में अड़चने आती हैं।
- नियम व प्रशासकीय प्रक्रियाएं प्रवासियों को उन कानूनी अधिकारों, जन सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से वंचित करती हैं जो स्थानीय निवासियों को प्राप्त हैं। इस कारण उनके साथ अक्सर दोयम दर्जे के नागरिकों का सा बरताव होता है। आंतरिक प्रवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निम्नोक्त शामिल हैं: राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव; अपर्याप्त आवास व औपचारिक रिहायशी अधिकारों का अभाव; कम मज़दूरी वाले, असुरक्षित या खतरनाक कार्य; सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा तक सीमित पहुँच; तथा प्रजाति, धर्म, वर्ग या लिंग आधारित भेदभाव।
- क्योंकि प्रवासी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं और पलायन का प्रभाव विविध क्षेत्रों पर पड़ता है, अतः

विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा अनेक व परस्पर पूरक पहलों की आवश्यकता है ताकि प्रवास में मदद मिले व पलायन करने वालों का देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन में एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

तथ्य व आँकड़े

- भारत का संविधान (अनुच्छेद 19) सभी नागरिकों को "भारत की सीमा में पूरी आजादी से आने-जाने; व भारत की सीमा के किसी भी भाग में रहने तथा बसने" का अधिकार देता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन है।
- भारत में आंतरिक प्रवास करने वाली आबादी बढ़ी है : 309 मिलियन या आबादी का 30 प्रतिशत (जनगणना 2001) आंतरिक प्रवासी हैं। हालिया अनुमान है कि यह दरअसल 326 मिलियन या कुल आबादी का 28.5 प्रतिशत है (एनएसएसओ 2007-08)।
- यह संख्या उत्प्रवासी भारतीयों की अनुमानिक संख्या से कहीं अधिक है (11.4 मिलियन) विश्व बैंक 2011।
- भारत में आंतरिक प्रवास दो प्रकार का है:
 - i) दीर्घकालिक पलायन, जिसमें व्यक्ति या परिवार किसी दूसरी जगह बस जाता है;
 - ii) अल्पकालिक पलायन¹ या मौसमी/आवर्ती पलायन जिसमें मूल स्थान व गन्तव्य के बीच आना-जाना होता रहता है। अल्पकालिक पलायन करने वालों की आनुमानिक संख्या 15 मिलियन (एनएसएसओ 2007-08) से लेकर 100 मिलियन तक आंकी गई, (डेशिंगकर तथा एक्टर 2009)।

अधिकांश अल्पकालिक पलायनकर्ता सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होते हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां न्यूनतम व उनकी संपत्ति सीमित होती है तथा उनके पास संसाधनों का अभाव होता है।

- आंतरिक पलायन करने वालों में से 70.7 प्रतिशत महिलाएं हैं (भारतीय जनगणना 2011)। ग्रामीण तथा शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में स्त्रियों के पलायन का मुख्य कारण विवाह बताया जाता है। 91 प्रतिशत ग्रामीण महिला पलायन तथा 61 प्रतिशत शहरी महिला पलायन (एनएसएसओ 2007-08)।
- पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही इलाकों में, रोजगार से जुड़ा बताया जाता है। पलायन करने वाले 29 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष तथा 56 प्रतिशत शहरी पुरुष रोजगार के कारण प्रवास करते हैं (एनएसएसओ 2007-08)।
- हालांकि स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, भारत में तकरीबन 15 करोड़ बच्चे पलायन करते हैं (डेनियल 2011; स्मिता 2011)।
- मुख्य स्रोत राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तराखण्ड तथा तमिलनाडु।
- मुख्य गन्तव्य राज्य: दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा कर्नाटक।
- पलायनकर्ता जिन रोजगार क्षेत्रों से जुड़ते हैं वे हैं: निर्माण, घरेलू काम, कपड़ा उद्योग, ईंट भट्टे, यातायात, खान, खदान तथा कृषि (डेशिंगकर तथा एक्टर, 2009)।
- प्रवासियों के बुनियादी हकों को नकारा जाता है, इसमें सस्ते, खाद्यान्न, आवास, पेयजल, सफाई, सार्वजनिक

तालिका 1 : मौसमी तथा दीर्घकालिक पलायन करने वाले : तुलनात्मक छवि, 2007-08

सामाजिक समूह	अल्पकालिक पलायन करने वाले			दीर्घकालिक पलायन करने वाले		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
अ.जा.	20.1	3.5	18.6	6.8	2.2	6.0
अ.ज.जा.	23.7	17.5	23.1	19.2	11.8	17.9
अन्य पिछड़ा वर्ग	39.5	43.6	39.9	44.5	37.9	43.3
अन्य	16.7	35.4	18.4	29.5	48.0	32.8
कुल	100	100	100	100	100	100

(एनएसएसओ 2007-08)

¹ अल्पकालिक प्रवासियों की परिभाषा उन लोगों के रूप में की जाती है जो काम के लिए/काम की तलाश में सर्वेक्षण के पूर्व, एक वर्ष के दौरान 1 से 6 महीने अपने सामान्य निवास स्थान से दूर रहे थे।

स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा तथा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच शामिल है। वे अक्सर बेहद प्रतिकूल स्थितियों में काम करते हैं जहाँ न सामाजिक सुरक्षा होती है, न कानूनी संरक्षण ही उन्हें मिलता है।

- पलायन के सकारात्मक प्रभावों को स्वीकारा नहीं जाता :
- पलायन जाति विभाजनों तथा जकड़ने वाले सामाजिक मानकों से बचने का तथा गन्तव्य पर सम्मान तथा आज़ादी के साथ काम करने का अवसर देता है (डेशिंगकर तथा एक्टर, 2009)।
- इन परिवारों कीजो महिलाएं पीछे रह जाती हैं वे सशक्तीकरण का प्रभाव अनुभव करती हैं। समाज में उनका संपर्क-संवाद बढ़ता है, वे श्रमिकों के रूप में तथा परिवार के निर्णयकर्ताओं के रूप में योगदान कर पाती हैं।
- पलायनकर्ता अपने स्रोत क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल, नवाचार तथा ज्ञान वापस लाते हैं जिसे 'सामाजिक प्रेषण' कहा जाता है। इसमें रुचि, बोध तथा नजरियों में बदलाव शामिल है (उदाहरण के लिए, खराब कार्यस्थितियों, कम मजदूरी तथा अर्ध-सामंती श्रम संबंधों को अस्वीकार करना तथा श्रमिकों के हकों का बेहतर ज्ञान व उनके प्रति सजगता) (यूनेस्को-यूनिसेफ, 2012 बी)।
- 2007-08 में घरेलू प्रेषण बाजार का अनुमान 10 बिलियन डॉलर लगाया गया था (टुम्बे 2011)। साक्ष्य बताते हैं कि बढ़ती आय के साथ पलायनकर्ताओं द्वारा भेजी गई राशियां मानवीय पूंजी गठन में निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। खासतौर से स्वास्थ्य तथा कुछ हद तक शिक्षा पर व्यय में वृद्धि होती है (यूनेस्को-यूनिसेफ, 2012 बी)।

नीतिगत सुझाव

पलायन पर एक सुसंगत कानूनी तथा नीतिगत ढाँचा विकसित करें

- पलायन को समग्र तथा केंद्रीय रूप से नीति दस्तावेजों तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में मुख्यधारा से जोड़ें (पंच वर्षीय योजनाएं, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन तथा नगर विकास योजनाएं)।
- एक सार्विक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज विकसित करें जिसमें न्यूनतम मजदूरी तथा श्रम मानकों व सभी सरकारी सामाजिक संरक्षण योजनाओं व सार्वजनिक सेवाओं के लाभ की सुवाह्यता शामिल हो। अर्थात् वे नए स्थान पर रोजगार के लिए जाने पर वहाँ भी उपलब्ध हों।
- सार्वजनिक सेवाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों में ही प्रवासियों के लिए लक्षित घटक तथा विशेष प्रचार रणनीतियों को शामिल किया जाए।

- गरीबों के पक्ष में विकास रणनीतियाँ अपनाकर पिछड़े इलाकों में पलायन की व्यथा को न्यूनतम किया जाए। इसमें स्रोत क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका के अवसर, भूमि व साझा भू-संसाधन तक पहुँच में वृद्धि; बेहतर सामाजिक व भौतिक संरचनाएं तथा शासन संस्थाएं, और मनरेगा जैसे कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा कर्ज ले पाने की सुविधाओं का विकास शामिल हो।
- अंतर्राज्यीय पलायन कामगार (सेवा नियुक्ति तथा परिस्थिति नियामन) कानून (1979) को संशोधित किया जाए तथा उसमें निम्नोक्त स्वामियां हटाई जाएं:
 - कानून केवल उन श्रमिकों पर लागू होता है जो राज्यों की सीमा पार करते हैं, अतः पलायन करने वालों का बड़ा हिस्सा इसके दायरे से बाहर रह जाता है।
 - कानून अपंजीकृत अनुबंधकर्ताओं व संस्थानों की निगहबानी नहीं करता।
 - बच्चों के लिए क्लेशों, शिक्षण केंद्रों या श्रमिकों के लिए सचल स्वास्थ्य इकाइयों पर यह कानून मौन है।
 - यह अंतर्राज्यीय सहयोग के दिशानिर्देश नहीं देता।
 - यह केवल पलायनकर्ताओं की सेवा नियुक्ति व परिस्थितियों की बात करता है, तथा उनके सामाजिक संरक्षण व शहर में उनके अधिकार तक पहुँच और महिला व बाल प्रवासियों की खास संवेदनशीलता के प्रश्नों को संबोधित नहीं करता।
 - इस कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधान, जैसे न्यूनतम मजदूरी, विस्थापन भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा बचाव वस्त्र आदि, लागू नहीं किए जाते।

ज्ञान तथा शोध स्वामियों को भरें ताकि प्रमाण आधारित नीति निर्माण हो सके

- जनगणना तथा पलायन सर्वेक्षणों के स्वरूप को संशोधित करें ताकि लिंग, आयु, अल्पकालिक पलायन तथा पलायन के विविध कारणों को उभारे जा सके।
- आंतरिक पलायन का देशव्यापी मानचित्रीकरण करवाया जाए (पंचायत स्तर पर नागरिक संगठनों तथा श्रम विभागों की मदद से)।
- राज्य स्तरीय शोध संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राज्य की पलायन छवि विकसित करें, जिसमें प्रत्येक राज्य में पलायन की प्रकृति, समय, अवधि तथा पलायन वृत्तों की व्यापकता शामिल हो।
- अर्थ व्यवस्था के विभिन्न उद्योगों के प्रवासियों के क्षेत्रवार योगदान पर शोध को विस्तृत किया जाए। इसमें सकल घरेलू उत्पाद तथा घरेलू प्रेषण में उनका योगदान भी शामिल हों।

संस्थागत तैयारी को सुधारा जाए तथा पलायन में सहायता व उसे प्रोत्साहित करने की क्षमता निर्मित की जाए

- अंतर्जिला तथा अंतर्राज्यीय समन्वय समितियां गठित करें ताकि मजदूरों को भेजने और पाने वाले क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारक्षेत्रों के बीच संस्थागत व्यवस्थाओं की साझी योजना बनाई जा सके। इससे सेवाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित हो सकेगा।
- पंचायतों का क्षमतावर्धन किया जाए ताकि वे अपने स्तर पर पलायन करने वाले मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर सकें (इसमें उनकी संख्या, अनुबंधकर्ताओं द्वारा चयन/नियुक्ति की सूचना हो)। स्थानीय स्तर पर नए प्रवासियों

को चिन्हित करने के लिए सचेतक समितियों की स्थापना की जाए।

- प्रत्येक राज्य श्रम विभाग में श्रम मंत्रालय की मदद से प्रवासी श्रमिक इकाइयां स्थापित की जाएं।
- जिन क्षेत्रों में अधिक पलायन होता है वहां वित्तीय व मानव संसाधन बढ़ाया जाएं।
- सुरक्षित आंतरिक पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- प्रवासी मजदूरों की औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि वे अपना पैसा सुरक्षित तरीके से प्रेषित कर सकें।



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization





आंतरिक पलायन तथा मानव विकास

मुख्य संदेश

आंतरिक प्रवास लोगों की आजादियों तथा क्षमताओं में विस्तार करता है और बेहतर आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अर्थों में मानव विकास में भारी योगदान कर सकता है। हालांकि पलायन संभावित रूप से पलायनकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए लाभदायक हो सकता है, वह इसके साथ ही भारी कीमत तथा जोखिम भी जुड़ा होता है जो पलायन के संभावित सरकारात्मक नतीजों को संकट में डाल सकता है।

चुनौतियां

- भारत की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने तथा निर्मित करने में आंतरिक पलायनकर्ता एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परन्तु उनके योगदान को इसलिए स्वीकारा नहीं जाता क्योंकि पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है। व्यापक डाटाबेस जैसे जनगणना तथा राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) में छोटी अवधि के लिए पलायन करने वालों, जिसमें मौसमी आवर्ती पलायनकर्ता शामिल हैं, की सूचना पूरी तरह शामिल नहीं हो पाती है।
- सरकार तथा नियोजकता, दोनों ही पलायन में सहायक बनने में असफल रहे हैं। समुचित श्रम तथा सामाजिक नीतियों अथवा पलायनकर्ताओं के लिए आधारभूत संरचनाओं व बुनियादी जरूरतों में निवेश द्वारा यह सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कार्य स्थितियां, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा खाद्यान्न तक पहुंच में आने वाली अड़नों के कारण प्रवासी श्रमिकों को मानव विकास के अर्थ में भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

- अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क (उदाहरण के लिए दोस्त, पड़ोसी, समान जाति के सदस्य तथा एक ही गांव में रहने वाले) शुरुआत में शहरी श्रम बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं पर इनसे ऊपर उठने में सहायक, सकारात्मक मदद नहीं मिलती (मित्र, 2011)।
- प्रवासी श्रमिकों को पीछे छोटे परिवार को पैसा भेजने में संस्थागत तथा शासकीय सहायत नहीं मिलती।
- पलायन के अन्य सकारात्मक प्रभावों को स्वीकारा नहीं जाता। यह संभव है कि पलायन जाति विभाजनों तथा सामाजिक बंधनों से बचने तथा गन्तव्य पर सम्मान तथा आजादी के साथ काम करने के अवसर उपलब्ध करवाए (डेशिंगकर व एक्टर, 2009)। पुरुष सदस्यों के पलायन के फलस्वरूप जो स्त्रियां पीछे रह जाती हैं वे सशक्त बनती हैं। वे श्रमिकों के रूप में भागीदारी करने वाली और परिवार में निर्णय लेने वाली बनती हैं। प्रवास करने वाले मजदूर मूल स्थान पर विभिन्न कौशल, नवाचार तथा ज्ञान साथ लाते हैं जिसे 'सामाजिक प्रेषण' कहा जाता है। इसमें रुचियों, बोध तथा नजरिए में बदलाव शामिल है (उदाहरण के लिए खराब कार्य स्थितियों, कम मजदूरी तथा अर्ध-सामंती श्रम संबंधों को अस्वीकार करना और श्रमिकों के अधिकारों के विषय में बेहतर ज्ञान व जागरूकता (यूनेस्को-यूनिसेफ, 2012 बी)।

तथ्य तथा आंकड़े

- प्रवासी मजदूर एक समान श्रेणी के नहीं होते। वे लिंग, वर्ग, प्रजातीयता, भाषा व धर्म के आधार पर बंटे होते हैं। पलायन करने वालों में महिलाएं व बालक सबसे अदृश्य व संवेदनशील समूहों में होते हैं।

- आजीविका की तलाश में मौसमी पलायन करने वाले सामाजिक रूप से वंचित समूहों में से होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से। उनके पास निजी संसाधनों का अभाव होता है व वे संसाधन तथा आजीविका घाटा झेलते हैं (डेडिंगकर तथा एक्टर, 2009)।
- साक्ष्य बताते हैं कि प्रवास दर उच्च शिक्षित व सबसे कम शिक्षित दोनों ही समूहों में ऊंची है। साथ ही मौसमी प्रवास करने वालों में निरक्षरों की संख्या अधिक है (यूनेस्को-यूनीसेफ, 2012 बी)।
- अनुमान यह है कि घरेलू प्रेषण बाजार 2007-08 में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का था।
- साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि बढ़ती आय व प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन, मानव पूंजी गठन में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, खासतौर से स्वास्थ्य तथा कुछ सीमा तक शिक्षा पर व्यय बढ़ सकता है (यूनेस्को-यूनीसेफ, 2012 बी)।
- आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते भविष्य में पलायन की घनता बढ़ सकती है (यूनेस्को-यूनीसेफ, 2012 बी)।

नीति संबंधी सुझाव

एक ऐसा नीतिगत ढांचा विकसित करें जो पलायन को संरक्षण दे, उसे प्रोत्साहित करे व प्रवासियों के प्रति संवेदनशील हो

- मौजूदा श्रम कानूनों को वरीयता दें। इसमें न्यूनतम मजदूरी कानून (1948), मजदूरी भुगतान कानून (1936), अनुबंधित श्रमिक (नियामक व उन्मूलन) कानून (1970), समान परिश्रमिक कानून (1976), अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियुक्ति तथा सेवा परिस्थिति नियामन) कानून (1979), बाल श्रम (निषेध व नियामन) कानून (1986), श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (1923), भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों (नियुक्ति तथा सेवा परिस्थिति नियामन) कानून (1996), तथा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून (2008)।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों में पलायन करने वाले श्रमिकों के योगदान का क्षेत्रावार योगदान का मूल्यांकन व निर्धारण करें, इसमें सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान भी शामिल हो।

- विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों में विभेदित सामाजिक रणनीतियां डिजाइन करें ताकि प्रवासियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। ये रणनीतियां आयु, लिंग, सामाजिक श्रेणी तथा दूरी पर आधारित हों।
- नीति निर्माताओं, स्थानीय सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, नियोक्ताओं तथा वित्तीय संस्थाओं को सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने में प्रवासियों के समक्ष आने वाली बाधाओं के विषय में संवेदनशील बनाएं व प्रशिक्षित करें।

संस्थाओं तथा प्रवासियों को सेवा वितरण में नवाचार अपनाएं

- प्रवासियों के लिए वैयक्तिक सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाया जाए।¹
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम बाजार कार्यक्रमों में प्रवासियों के परिणामों की निगरानी हेतु अनुसंधान डेटाबेस स्थापना।
- प्रवासी मजदूरों के लिए वॉक-इन संसाधन केंद्र स्थापित करें जहां उन्हें कानूनी सलाह और शिकायत निस्तारण की सूचना तथा विवादों को हल करने के तरीके उपलब्ध हों (उदाहरण के लिए आजीविका ब्यूरो और पीईयूएस)।
- स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लक्षित हस्तक्षेप प्रारंभ किए जाएं जो सर्वाधिक जोखिमग्रस्त प्रवासी आबादियों की स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करें (उदाहरण प्रवासियों के लिए एचआईवी हस्तक्षेप की नैको नीति व रेड रिबन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां)।
- मेबाइल बैंकिंग तथा संवाददाताओं के माध्यम से बैंकिंग द्वारा प्रवासियों के लिए धन भेजने की सुरक्षित व्यवस्था कायम करें। बैंकिंग प्रक्रियाओं को लचीला बनाएं (अपने ग्राहकों को जाने संबंधी नियमों में संशोधन करें, नो-फ्रिल अकाउंट व विशेष बैंकिंग समय की सुविधा उपलब्ध करवाएं)।

¹ इस विषय पर व्यापक चर्चा के लिए देखें *आंतरिक पलायन तथा सामाजिक संरक्षण : द मिसिंग लिंक*, इसी श्रृंखला में।

आंतरिक प्रवास तथा सामाजिक संरक्षण : लुप्त कड़ी

मुख्य संदेश

क्योंकि सामाजिक संरक्षण नीतियां व कार्यक्रम स्थाई आबादियों पर केंद्रित होती हैं, आंतरिक प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा के वे लाभ नहीं मिल पाते जो स्थाई निवास से जुड़े हैं। प्रवासियों के स्थान बदलने पर भी उनके हक उन्हें उपलब्ध हो सकें, इस विषय में कोई संगठित रणनीति नहीं है। प्रवासी परिवार, जो एक जगह बसे न होकर गतिशील रहते हैं, उनके लिए नियोजन करना तभी संभव होगा जब हम विकास अभिगमों और मॉडलों पर बुनियादी पुनर्विचार करेंगे ताकि प्रवासियों की सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सुरक्षित व प्रोत्साहित की जा सके, और वे सामाजिक व राजनीतिक अर्थों में सक्रिय बन सकें।

चुनौतियां

अधिकांश सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों में योग्य लाभार्थियों का पंजीकरण तथा लाभार्थी कार्ड जारी करना ज़रूरी होता है। पहचान-पत्रा व स्थानीय निवास-पत्र के अभाव में अक्सर प्रवासी स्वयं को सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत नहीं करवा सकते अतः वे बुनियादी हकों का दावा भी नहीं कर सकते। इसके फलस्वरूप:

- प्रवासी सस्ते खाद्यान्न से, जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध होता है, वंचित होते हैं और उन्हें रिहाइश व दूसरी बुनियादी सेवाओं जैसे पानी व साफ-सफाई पाने में कठिनाइयां होती हैं। वे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते और उन्हें अपने गांव में छोटे परिवार को पैसे भेजने के लिए अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होना पड़ता है (उदाहरण के लिए, दोस्तों व रिश्तेदारों पर जो घर जा रहे हों, अनौपचारिक कोरियर या बस चालकों पर)।

- क्योंकि अधिकांश प्रवासी मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें रोजगार से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा तथा कानूनी संरक्षण नहीं मिलता और बिरले ही उनकी कोई यूनिशन होती है।
- प्रवासियों के स्वास्थ्य पर पेशे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों, आवास की खराब व्यवस्थाओं तथा पोसाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने और यौनिक जोखिमों के कारण असर पड़ता है।
- मौसमी पलायन के दौरान जब बच्चे भी माता-पिता के साथ जाते हैं तो प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है।

तथ्य व आंकड़े

- वर्तमान में सरकारी नीतियां व कार्यक्रम प्रवासी आबादियों को ऐसे प्राथमिकता वाले समूहों के रूप में नहीं स्वीकारतीं जिनके अधिकार तथा हकों को सुनिश्चित किया जाना हो।
- कुछ कानूनों तथा नीतियों में, जैसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियुक्ति तथा सेवा परिस्थितियों का नियामन) कानून (1979), शिक्षा का अधिकार कानून (2009), तथा सर्व शिक्षा अभियान में, प्रवासियों का खण्डित उल्लेख मिलता है। परन्तु ये सभी भारत में आंतरिक प्रवास की प्रकृति व उसकी जटिलताओं को उचित रूप से संबोधित नहीं करते।
- शहरी क्षेत्रों में आश्रय/आवास समाधान दरअसल प्रवासियों के साथ भेदभाव करते हैं (उदाहरण के लिए, कच्ची बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास की योजनाओं में योग्य होने के लिए वर्ष वार तिथियों के अनुसार निवास प्रमाण उपलब्ध करवाना पड़ता है। किसी शहर में नए-नए आए आवासी के लिए यह पूर्वाग्रहपूर्ण है)।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा आधार योजना के तहत जो बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं, उनमें यह संभावना है कि वे प्रवासियों को पहचान का प्रमाण तथा सामाजिक-आर्थिक हकों का दावा करने का आधार उपलब्ध करवा सकें। परन्तु यह देखना बाकी है कि ये उपाय बहु-स्थानीय आवास से उपजने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे या नहीं।

नीति संबंधी सुझाव

एक सार्विक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज इजाद किया जाए जिसमें हक स्थान बदलने पर भी उपलब्ध हों

- असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के राष्ट्रीय आयोग ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो सुझाव दिए थे उन्हें अपनाया जाए, जिसमें निम्नोक्त विशेषताएं शामिल हों:
 - i) श्रमिकों का सार्विक पंजीकरण तथा उन्हें अनन्य फोटो पहचान-पत्र तथा स्मार्ट कार्ड जारी करना, जो उन्हें जमीनी स्तर के संगठनों द्वारा उपलब्ध करवाया जाए (उदाहरण के लिए आजीविका ब्यूरो द्वारा राजस्थान श्रम विभाग के सहयोग से उपलब्ध करवाया गया पहचान पत्र।
 - ii) पंजीकरण, प्रीमियम भुगतान (जहां लागू हो) तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों के लाभ, प्रवासी जहां कहीं रह रहा हो वहीं उसे प्राप्त करवाएं जाएं।
 - iii) सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज हो जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, जीवन बीमा तथा परिवार का स्वास्थ्य बीमा शामिल हो।

प्रवासियों के लिए वैयक्तिक सामाजिक संरक्षण उत्पाद व सेवाएं विकसित करें

- प्रवासी संदर्भ केंद्र स्थापित करें जहां प्रस्थान पूर्व परामर्श, श्रम बाजार की सूचना तक पहुंच तथा नौकरियों तक संस्थागत पहुंच हो, जिसमें प्रशिक्षण, प्रतिस्थापन व कौशल संवर्धन शामिल हो (उदाहरण के लिए, बंगलूरू स्थित लेबरनेट तथा ग्रामीण विकास ट्रस्ट)।
- लेबर हैल्पलाइनें तथा कानूनी क्लिनिक स्थापित की जाएं जो प्रवासियों को मूल स्थान तथा गन्तव्य, दोनों ही स्थानों पर, कानूनी सलाह दें (उदाहरण के लिए, राजस्थान स्थित आजीविका ब्यूरो)।
- जिन राज्यों में प्रवासी बड़ी संख्या में जाते हैं उनमें रैन बसेरों और अल्पावास गृहों की व्यवस्था की जाए ताकि प्रवासियों के लिए मौसमी तथा अस्थायी निवास उपलब्ध हो

सके (उदाहरण के लिए, भोपाल नगर निगम की राम रोटी योजना तथा इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी)।

- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रवासियों को अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएं (उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में दिशा फाउण्डेशन)।
- प्रवासियों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल स्रोत स्थानों में मौसमी छात्रावास विकसित किए जाएं, गन्तव्य स्थानों में कार्यस्थल पर स्कूलों की स्थापना की जाए जिसमें नामांकन हाजरी तथा आकलन को औपचारिक स्कूलों में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था हो, वापस लौटने वाले प्रवासी बालकों के लिए ब्रिज कोर्स तथा उपचारी शिक्षा की व्यवस्था की जाए (उदाहरण के लिए, एड इट एक्शन अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन (एआईएफ), उड़ीसा में लोकदृष्टि, महाराष्ट्र में जनार्थ तथा गुजरात में सेतु)।
- 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए सचल क्लेशों, प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा दिन में देखभाल केंद्रों की स्थापना कार्यस्थल के पास की जाए (उदाहरण के लिए, दिल्ली के सचल क्लेश)।
- प्रवासियों के लिए लक्षित स्वास्थ्य हस्तक्षेप आयोजित हों, जिसमें ऊंचे जोखिम वाले प्रवासियों के लिए एचआईवी/एड्स संबंधी पहलें भी शामिल हों (उदाहरण के लिए, प्रवासियों में एचआईवी हस्तक्षेप की नैको रणनीति तथा रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन)।
- प्रवासी श्रमिकों को शाखाहीन तथा सचल बैंकिंग तथा बैंकिंग संवाददाताओं द्वारा वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जाए (उदाहरण के लिए, फिनो मनी ट्रांसफर तथा एको इण्डिया फाइनेंशियल सर्विसेस् प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तथा यस बैंक के बैंकिंग संवाददाता)।



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



आंतरिक प्रवास तथा शहर पर अधिकार

मुख्य संदेश

आंतरिक प्रवासन विकास का अभिन्न हिस्सा है जो शहरी वृद्धि की गत्यात्मकता तथा शहरों की आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन्तता में योगदान करता है। किसी शहर पर अधिकार में भोजन, रिहाइश, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम तथा स्थानीय लोकतंत्र में भागीदारह शामिल होते हैं, ये अधिकार श्रमिकों पर भी लागू होना चाहिए।

चुनौतियां

- स्थानीय प्रशासन प्रवासियों को 'बाहरी' व्यक्ति तथा गन्तव्य की व्यवस्था व संसाधनों पर बोझ मानता है।
- भारत में प्रवासियों के अधिकारों को इसलिए भी नकारा जाता है क्योंकि जातीयता, भाषा, धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने के लिए 'माटी के पूत' की विचारधारा को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।
- प्रवासियों के विरुद्ध बहिष्करण तथा भेदभाव राजनीतिक व प्रशासकीय प्रक्रियाओं, बाजार तंत्र और सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, साथ ही मीडिया भी उनकी नकारात्मक छवि रचता है जिससे स्थानीय आवासियों और प्रवासियों के बीच एक खाई बनती है।
- नतीजतन किसी भी शहर की निर्णय प्रक्रिया में प्रवासी मजदूर हाशिए पर धकेले जाते हैं, श्रम बाजार की सनकों, भेदभाव के जोखिम और हिंसा के मसलों में उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है। प्रवासी मजदूर अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था को सस्ता व लचीला श्रम-बल उपलब्ध करवाते हैं, पर वे स्वयं ऐसी खराब स्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं, जहां न सामाजिक सुरक्षा होती है, न कानूनी संरक्षण।

- प्रवासी मजदूर अनाधिकृत कच्ची बस्तियों, झोपड़ियों, कामचलाऊ आश्रयों में रहने पर मजबूर होते हैं और हमेशा सरकार द्वारा विस्थापन और बेदखली के खतरों का सामना करते हैं।
- अधिकांश प्रवासी राजनीतिक बहिष्करण झेलते हैं और जब उनके मूल स्थान में चुनाव होते हैं वे गन्तव्य पर होने के कारण अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग तक नहीं कर पाते।
- भारतीय शहरों में प्रवासी कई अन्य कठिनाइयां भी झेलते हैं: उनके बुनियादी हकों को नकारा जाता है जिसमें सस्ते अनाट, पेयजल, साफ-सफाई व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच शामिल है।
- यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी प्रवासियों व उनके परिवारों की पहुंच उन सेवाओं व हकों तक हो जिनका प्रावधान नीतियों तथा कानूनों में स्थापित हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा कि शहरी बसावटें अपने आकार तथा वैविध्य में फैलने के साथ समावेशी स्थान भी बनें।

तथ्य तथा आंकड़े

- भारत की आबादी 2001 में 286 मिलियन थी जो 2011 में बढ़कर 377 मिलियन बन गई। अनुमान यह है कि यह 2030 में 600 मिलियन हो जाएगी (भारतीय जनगणना 2011, तथा भारत सरकार, 2011)।
- आज़ादी के बाद पहली बार यह स्थिति आई है जब शहरी आबादी की वृद्धि (91 मिलियन) ग्रामीण आबादी की वृद्धि (90.5 मिलियन) से अधिक रही है (भारतीय जनगणना, 2011)।
- आंतरिक प्रवासी भारत की शहरी आबादी का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती

रही है। शहरी आबादी में उनका हिस्सा 1983 में 31.6 था जो 1999-2000 में 33 प्रतिशत और 2007-08 में 35 प्रतिशत हो गया (एनएसएसओ, 2007-08)।

- इसके बावजूद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की आबादी में जनसंख्या वृद्धि में कमी दर्ज की गई है, जो यह सुझाता है कि वे प्रवासियों को अधिक अवांछनीय मानने लगे हैं। यह शहरी वृद्धि के असमावेशी होने का संकेत देता है (कुण्डु, 2012)।
- कोई शहर समृद्ध बने, उसकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए आंतरिक प्रवासियों का होना व आर्थिक विकास में उनका योगदान अपरिहार्य है।
- ऐसा टिकाऊ शहरी विकास जो सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सम्बद्धता और मानव अधिकारों पर आधारित हो इसके लिए प्रवासियों का समावेशन जरूरी है।

नीति संबंधी सुझाव

शहरी स्थानीय निकायों को शहर के विकास तथा नागरिक प्रबंधन में प्रवासी श्रमिकों के समावेशन के विषय में सुग्राही बनाया जाए

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) व नगर विकास योजनाओं जैसे नीति दस्तावेजों में प्रवासियों की ज़रूरतों तथा सरोकारों को मुख्यधारा में लिया जाए।
- राष्ट्रीय, नगर तथा निगम स्तर के घाषणापत्र विकसित किए जाएं जो नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करते हों और शहरों पर उनके अधिकार को प्रोत्साहित करते हों (उदाहरण के लिए, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम तथा कोयम्बतूर के नगर निगमों द्वारा घोषित नागरिक घोषणापत्र)।
- शहरों की शासन प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक बनाया जाए। इसके लिए शहरों में प्रवासी श्रमिकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही निर्णय प्रक्रिया तथा शहरी नियोजन में जैसे मास्टर प्लान, विकसित करने में प्रवासियों को शामिल किया जाए।
- नगर निगमों, नागरिक निकायों, सरकार के अंगों, राजनीतिक तथा सामुदायिक नेताओं, राज्य की अफसरशाही, नगर योजनाकारों व अन्य दावेदारों मय मीडिया को, शहरी प्रबंधन व नियोजन में प्रवासियों को शामिल करने की आवश्यकता के प्रति शिक्षित, प्रशिक्षित तथा सुग्राही बनाया जाए।

शहर की बुनियादी सेवाओं तथा हकों तक पहुंचने के प्रवासियों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

- नैगमिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करें कि वे परिचय, प्रेषण तथा पंजीकरण द्वारा और फोटो पहचान कार्ड जारी कर प्रवासियों की आवासीय स्थिति की पुष्टि व उसे प्रमाणित करें।
- सार्वजनिक सेवाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के तहत ही प्रवासियों को लक्षित घटक के रूप में स्वीकारें तथा उनके लिए विशेष प्रसार रणनीतियां डिजाइन करें। साथ ही उनके लिए वैयक्तिक सामाजिक सुरक्षा उत्पाद विकसित करें।¹
- कच्ची बस्तियों का स्वस्थान विकास करें तथा यह प्रयोग करें कि नियोक्ता स्वयं प्रवासियों को शयनशाला व्यवस्था उपलब्ध करवाएं, जिसमें यह प्रावधान भी हो कि प्रवासी श्रमिकों को अंततः आवासीय अधिकार भी प्राप्त हो सकें। इसमें उचित किराए वाले स्थान व बाद में उचित दरों पर मकान भी शामिल हों।
- ऐसी शहरी नीतियों व कार्यक्रमों के स्वरूप को सुधारें जो प्रवासियों के साथ भेदभाव करते हों (उदाहरण के लिए, कच्ची बस्ती पुनर्वास योजनाओं को शहर में रिहाइश की अवधि से पृथक करें)।

¹ इस विषय पर व्यापक चर्चा के लिए देखें *आंतरिक पलायन तथा सामाजिक संरक्षण : द मिसिंग लिंक*, इसी श्रृंखला में।

आंतरिक प्रवास एवं लिंग

मुख्य संदेश

प्रवास के संबंध में मौजूदा तर्क पर्याप्त रूप से जेण्डर आधारित प्रवास को संबोधित करने में नाकाम रहे हैं, भले ही प्रवासी महिलाओं का भारी बहुमत रहा हो। प्रवास पर एक जेण्डर आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवास के कारण, स्वरूप, विकल्प और बाधाएं काफी अलग हैं।

चुनौतियां

- चूंकि जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं को प्रवास का सिर्फ एक ही कारण देना आवश्यक है, इसलिए महिलाओं के प्रवास को प्रभावित करने वाले श्रम आधारित तथा संबंधित फैसलों कुछ पहलुओं को छुपाया गया है। कामकाजी महिलाएं जो कि शादी के लिए पलायन करती हैं उनका भी प्रवासी श्रमिक के रूप में कोई रिकॉर्ड नहीं है चाहे वो पलायन के बाद भी काम कर रही हों। संस्कृति के अनुसार निर्धारित अनुपयुक्तता, महिलाओं के आर्थिक योगदान पर जोर देता है तथा अन्य कारणों के अलावा महिलाओं को रोजगार के लिए प्रवास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। (शान्थी 2006)
- प्रवासी महिलाएं श्रमिकों की भीड़ में अदृश्य एवं पक्षपात की शिकार रहती हैं। उन्हें पुरुष प्रवासियों से कम भुगतान किया जाता है। उनका आर्थिक योगदान अक्सर उनके परिवार की श्रम इकाइयों में सम्मिलित कर दिया जाता है। उन्हें मातृत्व हकों व स्तनपान जैसी विशेष देखभाल जैसे हकों से भी दूर रखा जाता है।
- स्वास्थ्य संबंधी जाखिम प्रवासी महिलाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य के संकेत बहुत खराब मिलते हैं। पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय की सुविधाओं की कमी संक्रामक रोगों को जन्म देती है। बच्चों व किशोरियों में कुपोषण एवं एनीमिया

बड़े पैमाने पर बने हुए हैं। प्रवासी महिलाएं एवं किशोरियां ज्यादा यौन उत्पीड़न व शोषण का शिकार बनती हैं। और इन्हें आय बढ़ाने के उद्देश्य से जबरदस्ती सेक्स वर्क में धकेलने की संभावनाएं रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ, प्रवासी पुरुषों की पीछे छूटी हुई महिलाओं को प्रवास से लौटे उनके पति द्वारा एचआईवी/एड्स से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है।

- क्रेच के अभाव में महिलाएं पलायन करते वक्त अपने युवा बच्चों को उनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए घर छोड़ आती हैं। खासतौर पर किशोरियों को, जिनको घर की अन्य जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं।
- प्रवासी होने की स्थिति में महिलाओं को मिलने वाले लाभ जांच के तहत ही चलते रहते हैं। प्रवास अधिक से अधिक स्वतंत्रता, नकद आय और पलायन कर रही महिलाओं के नजरिए में बदलाव, जो कि पारंपरिक लिंग आधारित भूमिकाओं व जिम्मेदारियों पर प्रभाव डाल सकता है, को बढ़ावा दे सकता है। प्रवासी पुरुषों की पीछे छूटी हुई महिलाओं के लिए समाज में अधिक संपर्क, कामगारों के रूप में उनका योगदान और परिवार के निर्णय निर्माताओं के रूप में उनकी भागीदारी उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकती है। (UNESCO-UNICEF 2012b).

तथ्य एवं आंकड़े

- 309 करोड़ आंतरिक प्रवासियों में से 70.7 प्रतिशत महिलाएं हैं। (218 करोड़) (भारतीय जनगणना 2001)
- महिलाओं के प्रवास के लिए दिया गया सबसे प्रमुख कारण है शादी। 91.3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों व 60.8 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा उल्लेख किया गया (NSSO 2007-2008)। गांवों में विजातीय विवाह, महिलाओं की काम में भागीदारी की दर में गिरावट जैसी सामाजिक कुरीतियों की पृष्ठभूमि में जाकर इसकी जांच

पड़ताल करने की आवश्यकता है। (UNESCO-UNICEF 2012b)

- महिला प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक हैं (75.6 प्रतिशत) और अंतर्राज्यीय प्रवास (10.1 प्रतिशत) के मुकाबले जिले के अन्दर एवं राज्य के अन्दर प्रवास में अधिक सघनता प्रदर्शित करती हैं (क्रमशः 66.9 प्रतिशत व 23 प्रतिशत। (UNESCO-UNICEF 2012b)
- महिलाओं में लम्बे समय के लिए बाहर प्रवास करने की तुलना में मौसमी प्रवास अधिक रहता है। उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में मध्य, पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में महिलाएं अधिक प्रवास करती हैं। (UNESCO-UNICEF 2012b).
- अप्रवासी महिलाओं एवं स्वरोजगार करने वाली महिलाओं की तुलना में नियमित नौकरियों में प्रवासी महिला खुद को ठीक से स्थापित नहीं कर पाती है। घरेलू काम प्रवासी महिलाओं एवं युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। (UNESCO-UNICEF 2012b).

नीतिगत विशेषताएं

लिंग संवेदनशीलता को शामिल करने हुए ज्ञान और अनुसंधान के अंतराल को पाटना

- महिलाओं में प्रवास के कारणों के डेटा संग्रहण के लिए जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के डिजायन में संशोधित अवधारणाओं एवं श्रेणियों का इस्तेमाल किया गया।
- प्रवास का लिंग और आयु के आधार पर विभाजन कर डेटा निकालना तथा प्रवासी महिला श्रमिकों का बाहर से धन भेजने और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (national GDP) में योगदान देखना।

प्रवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को मजबूत बनाना

- मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता जैसे - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम - 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम - 1936, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम - 1970, समान वेतन अधिनियम - 1976, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम - 1923, बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम - 1976, अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम - 1979, बाल श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम - 1986, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार के नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम - 1996 तथा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम - 2008।

महिला प्रवासियों के पक्ष प्रवासी सहयोगी पहलों का विस्तार

- अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता, दक्षता कौशल की संभावनाओं और प्लेसमेंट और एचआईवी/एड्स की रोकथाम सहित सामान्य और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रस्थान पूर्व जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना। (उदाहरण के लिए, बोधीक्यू (Bodhicrew) सर्विसेज प्रा. लिमिटेड)
- कानूनी जानकारी व सहायता के लिए प्रमुख स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों में लेबर हेल्पलाइन व कानूनी सहायता दिवस चलाना। (उदाहरण के लिए, आजीबिका ब्यूरो, उदयपुर)
- कार्यस्थल पर ही या साइट के निकट आईसीडीएस आंगनवाड़ियों, मोबाइल क्रेच और बच्चों के लिए दिन में देखभाल गृह केंद्र (उदाहरण के लिए, मोबाइल क्रेच, दिल्ली)। छात्रावास और बुनियादी स्वच्छता और सफाई से लैस कार्यस्थल तथा साथी महिला प्रवासियों और नागरिक सुविधाओं के लिए आवास की सुविधा।
- महिलाओं के शोषण, तस्करी और उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए के लिए समितियों बनाएँ। प्रवास पर निगरानी रखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाएँ। (उदाहरण के लिए, संलाप, कोलकाता)

महिला प्रवासी श्रमिक के लिए सीईडीएडब्ल्यू की सामान्य सिफारिश नं. 26

भारत महिलाओं के साथ भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ है तथा उसके उन्मूलन के लिए कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) पर हस्ताक्षरकर्ता है। हालांकि, व्यवहार में प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए में की गई जनरल सिफारिश 26 (2008) काफी हद तक लागू नहीं किया गया है। सीईडीएडब्ल्यू जनरल सिफारिश नं. 26 विशेष रूप से महिला प्रवासी श्रमिकों के सम्मान, रक्षा और के मानव अधिकारों को पूरा करने की सिफारिशों की रूपरेखा लिंग तथा आधारित भेदभाव के खिलाफ है। सिफारिश हालांकि महिला श्रमिकों के अंतरराष्ट्रीय प्रवास करने से संबंधित है परन्तु सीईडीएडब्ल्यू की सामान्य सिफारिश पर जागरूकता व जानकारी फैलाने की आवश्यकता है। इसको बढ़ावा देने तथा महिला श्रमिकों के आंतरिक प्रवास की सुविधा के लिए सभी पक्षकारों की भूमिका और जिम्मेदारियों को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से बढ़ावा देने और महिला श्रमिकों के आंतरिक प्रवास की सुविधा के लिए सीईडीएडब्ल्यू जनरल सिफारिश 26 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन बनाने के लिए, और प्रासंगिक हितधारकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुकूल करने के लिए एक तत्काल आवश्यकता है।



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization





आंतरिक प्रवास एवं बच्चे

मुख्य संदेश

बच्चे आंतरिक प्रवास का अमान्य एवं समस्याग्रस्त समूह हैं। वे अकेले या जब उनके परिवारों के साथ निर्भर सदस्यों की तरह प्रवास करते हैं। प्रवासी बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जैसे स्कूलों से, स्वास्थ्य सेवाओं से और सुरक्षा की दृष्टि से वे जोखिम पर होते हैं। प्रवासी बच्चों के आरंभिक वर्षों में वे महत्वपूर्ण बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, जिससे कि उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। इससे उनके भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है।

चुनौतियां

भिन्न-भिन्न आयु समूह के बच्चों पर प्रवास के प्रभावों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं।

शैशवावस्था

प्रवासी परिवार शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास आवास का कोई सबूत नहीं होता, जो कि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। उनके परिवारों की प्रवास स्थिति के कारण जन्मजात बच्चों का टीकाकरण, शारीरिक विकास की मॉनिटरिंग और नियमित स्वास्थ्य जांच समय पर नहीं हो पाती है। इन बच्चों में कुपोषण, विकृति और बाल मृत्यु दर का जोखिम अधिक होता है।

प्री स्कूल बच्चे

प्रवासी परिवारों की आंगनवाडियों, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं (पी.डी.एस.) और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत ही सिमित होती है, जिसका दुष्प्रभाव उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बाल्यावस्था में कुपोषण, लगातार बीमारियों और शारीरिक दुर्बलताओं, जैसे बौनापन होना, और

उसके बौद्धिक क्षमता में कमी आती है, जिससे कि वह स्कूली पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है। साफ पेयजल और शौचालय सुविधा तक पहुंच नहीं होने और आवास एवं कार्य के स्थानों की खराब अवस्थाओं के चलते मलेरिया, डायरिया, श्वासरोग और जलनित बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। माताओं के काम पर जाने के कारण प्रवासी बच्चे देखभाल और त्वरित प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से वंचित रह जाते हैं, यह उपेक्षा और बढ़ जाती है जब कि उनके भाई या बहन उनकी देखभाल करते हैं। पालनाघर और आरंभिक शिशु देखभाल की सेवाओं की अनुपस्थिति के चलते बच्चों का औपचारिक स्कूली में प्रवेश नहीं हो पाता।

बड़े बच्चे

10 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों की प्रवास दर लगभग समान है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, लड़कियों का अधिकांशतः प्रवास अपने परिवार के साथ होता है, उन्हें घर की जिम्मेदारियां और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए गंतव्यों पर जाना पड़ता है (स्मिता, 2008)। प्रवास के कारण बच्चे स्कूलों में देरी से प्रवेश पाते हैं, स्कूल नहीं जाते या शिक्षा में अवरोध आता है, स्कूल छोड़ने की संख्या भी बढ़ती है साथ ही बालश्रम बढ़ता है।

बाल प्रवासी निर्माण, ईट भट्टे, नमक बनाने, गन्ने की कटाई, खदानों, जंगलात में पौधारोपण और मछली पकड़ने जैसे कार्य क्षेत्रों में कार्य करते पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये बच्चे श्रम प्रक्रियाओं का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, जहां वे अपने छोटे-छोटे हाथों और हल्के-फुल्के शरीर से कार्य करते हैं। अपने परिवार के साथ गैरपंजीकृत और अदृश्य ईकाई के तरह ये लम्बी समयावधि तक कार्य करते हैं, क्योंकि इनका पारिश्रमिक भूगतान पीस रेट पर तय होता है। लगातार घुमते रहने के कारण दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के

नेटवर्क से ये बच्चे बाहर हो जाते हैं, जिससे कि इनमें सुरक्षा और अपनेपन की भावना खत्म सी हो जाती है, इसके अलावा वे यौन शोषण और मादक पदार्थों के सेवन का जोखिम बढ़ जाता है। अल्प आयु में विवाह (13-18 वर्ष), कम आयु में गर्भधारण (15-17 वर्ष), प्रशिक्षित दाईयों के अभाव में बच्चों का जन्म, जल्दी-जल्दी बच्चे होना, इससे शरीर का कमजोर होना और छोटे बच्चों का विशेष स्तनपान और वैकल्पिक पोषण का अभाव माताओं और बच्चों में खून की कमी और उन्हें कमजोर करता है।

तथ्य एवं आंकड़े

- उपलब्ध अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 15 लाख बाल प्रवासी हैं। (डेनियल 2011, स्मिता 2011)
- सिमित प्रमाणों के अनुसार भारत के कुल मौसमी प्रवासीयों के एक तिहाई बच्चों का समूह है, जो कि 0-14 वर्ष की उम्र में अपने परिवारों के साथ रहते हैं। (स्मिता 2008)

नीतिगत सुझाव

बच्चों पर फोकस करते हुए आंकड़ों और प्रवास के दृष्टिकोण को विकसित करना

- उचित आयोजना और मोनिटरिंग के लिए जनगणना के समय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) और एन.एस.ए.ओ. द्वारा किये जाने वाले नेशनल सेम्पल सर्वे के समय प्रवासी बच्चों के आंकड़े प्रवास के कारणों के साथ, लिंग और आयु के अनुसार विभाजित करते हुए एकत्र किये जाने चाहिए।
- प्रवासीयों के लिए हस्तक्षेप के उपायों को डिजाइन करने के लिए "कन्टीन्यूअम ऑफ केयर" फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए, यह बच्चों की समस्याओं और लिंग और आयु विशेष के जोखिम पर जोर देता है। इससे हम माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के महत्वपूर्ण जीवन चरणों के लिए सेवाएं खड़ी कर सकते हैं।

बाल प्रवासीयों के लिए सहयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक वातावरण मुहैया कराना

- कार्यस्थलों पर कार्य के दौरान नियमित अंतराल पर बच्चों के स्तनपान हेतु अवकाश प्रदान करना।
- समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस) राष्ट्रीय मातृत्व विकास योजना और राजीव गांधी पालनाघर योजना के अंतर्गत प्रवासी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष

रूप से विस्तार एवं आउटरिच रणनीति बनाई जानी चाहिए। अधिक प्रवास वाले क्षेत्रों में इन योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त वित्त और मानव संसाधन लगाए जाने चाहिए।

- स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रवासी परिवारों एवं उनके बच्चों के लिए मोबाईल स्वास्थ्य ईकाईयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाल प्रवासीयों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए उन्हें मौसमी हॉस्टल और कार्यक्षेत्रों के स्कूलों के साथ जोड़ना चाहिए।
- बाल श्रमिकों एवं बंधुआ मजदूरों रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।
- बाल प्रवासीयों और ट्राफिकिंग को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर बाल सुरक्षा एवं निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

बाल प्रवासीयों के लिए लाभदायी वर्तमान सरकारी योजनाओं के क्रियावयन में सुधार

- पंचायतों एवं गांवों में आशाओं द्वारा सभी नवजात शिशुओं को पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गरीब एवं प्रवासी महिलाओं की पहुंच सुगम एवं सुनिश्चित करना।
- सभी प्रवासी बच्चों के लिए मिड डे मील को अनिवार्य रूप से पहुंचाना।
- समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस) का प्रवासीयों के कार्यस्थलों एवं आवासीय शिविरों तक विस्तार करना और प्रीस्कूल शिक्षण और ग्रोथ मोनिटरिंग की सुविधाओं में सुधार करना।
- निर्माण, खनन, पौधारोपण एवं मन्रेगा के कार्यस्थलों पर बच्चों हेतु पालनाघरों की स्थापना के लिए श्रम कानूनों को लागू करवाना।
- 0-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए मोबाईल पालनाघरों, शिशुओं की देखभाल और डेकेयर सेंटर की स्थापना करना। (उदाहरण स्वरूप, मोबाईल क्रेचस, नई दिल्ली)।

¹ इस विषय पर व्यापक चर्चा के लिए देखें *आंतरिक प्रवास तथा शिक्षा का अधिकार*, इसी शृंखला में।



आंतरिक प्रवास तथा शिक्षा का अधिकार

मुख्य संदेश

भारत में प्रवासी बच्चे शैक्षिक रूप से सबसे अधिक हाशिए पर हैं। प्रवासी बच्चों की शिक्षा का (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, [आरटीई], 2009) अधिकार के अन्तर्गत भी नियमित रूप से स्कूली शिक्षा जारी रखना मौसमी और अस्थायी प्रवास के कारण बाधित होता है। जो कि उनके मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा पीढ़ी-पीढ़ी गरीबी में रहने के लिए जिम्मेदार है।

चुनौतियां

- स्कूलों के शैक्षणिक सत्र (जून से अप्रैल) और मौसमी प्रवास चक्र (नवम्बर से जून) के बीच एक ओवरलैप है, इसके कारण जो प्रवासी बच्चे में नामांकित होते हैं वो केवल जून से नवम्बर तक स्कूलों आ पाते हैं। इसके बाद अपने परिवारों के साथ काम पर चले जाने के कारण लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में ड्रॉपआउट की श्रेणी में आ जाते हैं। अध्ययन का यह अस्थायी कम धीरे-धीरे उन्हें पूरी तरह से स्कूल से अलग कर देता है।
- प्रवासी बच्चों को शिक्षा में बाधा और अलग-अलग राज्यों में शैक्षिक पाठ्यक्रम में विविधता तथा भाषा में अंतर के कारण सीखने में परेशानी व वयवधान का सामना करना पड़ता है।
- माता-पिता के पलायन के कारण बच्चे साथ में कार्यस्थलों पर ही रहते हैं तथा परिवार की आय में पूरक रूप से शामिल होते हैं। ये बच्चे अक्सर 6-7 साल की उम्र से ही कार्यस्थलों पर बाल श्रमिक के रूप में शामिल हो जाते हैं।
- एक प्रवास चक्र के अंत में स्रोत पर स्कूलों में पुनर्नामांकन दुर्लभ होता है। प्रवासी बच्चों को अक्सर कड़ी स्कूल प्रक्रियाओं के चलते और सीखने के घाटे को कवर

करने के लिए उपचारात्मक कक्षाओं की कमी के कारण एक ही कक्षा में पुनः प्रवेश लेना पड़ता है।

- अधिक प्रवास वाले क्षेत्रों के स्कूलों में दिखता है कि स्कूलों में घटिया बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त स्टाफ तथा कमजोर स्कूली आपूर्ति और, होती है। इन क्षेत्रों में नौकरी करने वाले दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में ही नौकरी करते हुए माने जाते हैं।
- प्रत्येक माइग्रेशन चक्र पलायन के प्रकार, समय, प्रवास की अवधि और संख्या में अलग होता है। और इन्हीं विविधताओं के कारण इसके अनुसार शैक्षिक पहल के लिए योजना बनाना मुश्किल है।
- स्कूल से बाहर किए गए सर्वेक्षण प्रवास के कारण बच्चों की उपस्थिति दरों में मौसमी बदलाव को शामिल नहीं कर पाते हैं। प्रवासी के कारण न ही वे स्कूल से बाहर के तथा स्कूली बच्चों के बीच प्रवासी बच्चों की स्थिति के बारे में पारिभाषिक और पद्धतिगत स्पष्टता से कुछ कह पाते हैं।

तथ्य एवं आँकड़े

- इस प्रकार के बच्चों के बारे में भारत में कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अनुमान के अनुसार प्रवासी बच्चों की संख्या लगभग 15 लाख है। (डैनियल 2011, स्मिता 2011)।
- प्रवासी बच्चों से संबंधित आरटीई में स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं,
 - स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रवासी परिवारों के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा।
 - एक बच्चे को स्कूल के प्रभारी द्वारा तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसके बाद बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिला पाने करने का अधिकार है।

नीतिगत अनुशासन व सुझाव

सबूत के आधार पर नीति बनाने तथा उसे सक्षम करने के लिए ज्ञान और अनुसंधान के अंतराल को पाटना

- स्कूली बच्चों और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में से प्रवासी बच्चों को पहचानने के लिए समन्वित परिभाषा और पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के तहत इस तरह के प्रवासियों के प्रतिनिधित्व और कमजोर वर्ग को शामिल करने के लिए नमूना लेने की रणनीति में संशोधन की आवश्यकता है।

मौसमी और अस्थायी प्रवास का आंकलन करना और जिला प्रशासन तथा राज्य के बीच संयुक्त नियोजन सुनिश्चित करना

- राज्यों भीतर व राज्य से बाहर के बच्चों के प्रवास के प्रकार, पैटर्न, पैमाने और प्रवास का भौगोलिक और क्षेत्रवार प्रसार का विस्तृत मानचित्रण करना। (स्कूलों के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना)
- जहां से प्रवास हो रहा है तथा जहां पर प्रवास हो रहा है दोनों स्थानों पर सर्वेक्षण करना जिसमें कार्यस्थल पर प्रवास के महीनों के दौरान सर्वेक्षण करना तथा गैर प्रवास के महीनों के दौरान प्रवास गांव में सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है।
- जहां से प्रवास हो रहा है तथा जहां पर प्रवास हो रहा है दोनों स्थानों पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाना जो कि सुविधाजनक प्रवास के लिए अयोजना बनाने में मददगार हो। (उदाहरण के लिए, जिस जिले में प्रवास हो रहा है उसके लिए विशेष बजटीय आवंटन तथा अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती पर विचार करना)

प्रवासी बच्चों की ट्रेकिंग और मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों को जिम्मेदार करें

- स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रवासी बच्चों की ट्रेकिंग व पहचान के लिए कार्ड और ट्रेकिंग रजिस्ट्रों का उपयोग करें।
- स्कूल प्रबंधन समितियों में प्रवासी माता - पिता को शामिल करें।
- प्रवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यस्थलों पर चौकी के रूप में स्कूलों स्टाफ की तैनाती।

- कार्यस्थल स्कूलों को स्थानांतरित करने व मुख्यधारा में जोड़ने के लिए क्रेडिट सिस्टम का विकास सुनिश्चित करना तथा गंतव्य पर किसी भी अन्य सरकारी स्कूलों से जोड़ना।
- सुविधा व आवश्यकता के अनुसार स्कूल कैलेंडर, पुनः प्रवेश नीति, उपस्थिति और परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को लचीला बनाकर प्रवासी बच्चों समायोजित करें।
- प्रवासी बच्चों की मातृ भाषाओं से परिचित पैरा शिक्षकों या मोबाइल शिक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति करना।
- प्रवासी बच्चों के लिए गंतव्य पर दूर और निर्जन क्षेत्रों में स्कूलों तक आसान पहुँच के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- स्कूल से बाहर और स्कूल छोड़ने वालों प्रवासी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयु उपयुक्त शैक्षिक योग्यता के अनुसार लाभ दिलाना सुनिश्चित करना।

गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन द्वारा नए तरीकों को अपनाना और फैलाना

- स्रोत क्षेत्रों के आधार पर सभी शिक्षा कार्यक्रम प्रवासी बच्चों के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए बनें।
- जहां से अधिक प्रवास है वहां पर गांव या पंचायत आधारित मौसमी होस्टल बनाए जो कि प्रवासी परिवारों के बच्चों को गांव में ही आवासीय सुविधाएं प्रदान कर स्थानीय स्कूलों में पढ़ने की अवधारणा को बढ़ावा देती है।
- प्रवासी श्रमिकों के गन्तव्य पर कार्यस्थलों पर ही स्कूलों की स्थापना कर बाल श्रम को रोकने के लिए प्रसास करना। बच्चों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में सीखने और खेलने के लिए एक बेहतर अवसर सुनिश्चित करना।
- प्रवास से वापस लौटने पर स्रोत स्थल पर प्रवासी बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स और उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करें।
- राजस्थान में लोक जुम्बिश परिषद, उड़ीसा में एड इट एक्शन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) तथा उड़ीसा में लोकदृष्टि, महाराष्ट्र में जनार्थ और गुजरात में सेतु (SETU) ऐसे नए तरीकों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization







संदर्भ

- एड एट एक्शन, 2011, *ईट भट्टों पर बच्चे: पांच राज्यों के अनेक स्थानों पर अध्ययन*, भुवनेश्वर, प्रवासन सूचना और संसाधन केंद्र ।
- भगत, आर. बी एवं एस. मोहंती, 2009, 'शहरीकरण का उभरता स्वरूप और भारत में शहरी विकास में प्रवासन का योगदान', *एशियाई जनसंख्या अध्ययन*, अंक 5, सं. 1, पृष्ठ सं. 5-20
- सीईडीएडब्ल्यू, 2008, सीईडीएडब्ल्यू/सी/2009/डब्ल्यूपी.1/आर महिला प्रवासी श्रमिकों पर आम अनुशंसा http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf 5 दिसम्बर पर उपलब्ध है।
- डेनियल, यू, 2011, 'प्रवासी बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का अद्यतन', प्रस्तुति भारत में आंतरिक प्रवासन एवं मानव विकास पर, 6-7 दिसंबर 2011, नई दिल्ली को यूनेस्को यूनिसेफ राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुति।
- डेशिंगकर, पी. एवं एस. एक्टर, 2009, *भारत में प्रवासन एवं मानव विकास*, मानव विकास शोध पत्र 2009/13, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
- भारत सरकार, 2011, *तेज, दीर्घकालिक एवं अधिक समावेशी विकास, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव*, नई दिल्ली, योजना आयोग, अगस्त।
- कुंडू, ए., 2012, 'भारत में प्रवासन एवं विशेष रूप से शहरीकरण', *आर्थिक और राजनीतिक पत्रिका*, अंक 47, सं. 26 एवं 27, पृष्ठ सं. 219-227
- मित्रा, ए., 2011, 'प्रवास, आजीविका, कल्याण एवं उच्च वर्ग की गतिशीलता', *भारत में आंतरिक प्रवास एवं मानव विकास पर यूनेस्को - यूनिसेफ राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुति*, 6-7 दिसंबर 2011, नई दिल्ली।
- मोबाइल क्रेच, 2006, *श्रम गतिशीलता एवं बच्चों के अधिकारों की रिपोर्ट: परामर्श*, 2-3 मार्च, नई दिल्ली।
 - 2010, *दिल्ली में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विश्लेषण की स्थिति, नागरिक रिपोर्ट, 2002-2007*, नई दिल्ली, मोबाइल क्रेच।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), 2007, *एनएसीपी तृतीय के अंतर्गत नियत व्यवधान - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश : अंक 2 - प्रवासी एवं ट्रक ड्राइवर*, नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

- प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए संगठनों का राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीओएसएमडब्ल्यू), 2010, भारत में मौसमी आंतरिक प्रवासन के लिए एक बेहतर प्रतिक्रिया: बारहवीं योजना हेतु प्रमुख नीतिगत अनुशांसा, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), 2010, भारत में आवास की स्थितियां और सुविधाएं 2008-09, नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
 - भारत में प्रवास 2007-08 (64 वां दौर), नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुद्ध, भारतीय जनगणना 2001, नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुद्ध, भारतीय जनगणना 2011, नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- शांति, के., 2006, भारत में महिला श्रम प्रवास: एनएसएसओ डाटा से निरीक्षण, चेन्नई, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, वर्किंग पेपर 4/2006।
- स्मिता, 2008, बच्चों की शिक्षा पर संकटमयी मौसमी प्रवास एवं उसके प्रभाव, ब्राइटन, अनुसंधान मोनोग्राफ सं. 28 के लिए मार्ग निर्माण
 - 2011 'संकटमयी मौसमी प्रवास और बच्चों की शिक्षा पर उसके प्रभाव' भारत में आंतरिक प्रवास एवं मानव विकास में यूनेस्को यूनिसेफ राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुति, 6-7 दिसंबर 2011, नई दिल्ली।
- भारत का राजपत्र, 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009, असाधारण भाग द्वितीय, अनुच्छेद एक, सं. 39, नई दिल्ली, गुरुवार, 27 अगस्त।
- विश्व बैंक, 2011, प्रवास एवं प्रेषण तथ्य पुस्तिका 2011, द्वितीय संस्करण, वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक।
- टम्बे, सी., 2011, भारत में प्रेषण: तथ्य और समस्याएं, वर्किंग पेपर नं. 331, बंगलौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान।
- यूनेस्को यूनिसेफ, 2012ए, कार्यशाला संक्षेप: भारत में आंतरिक प्रवास एवं मानव विकास पर यूनेस्को-यूनिसेफ कार्यशाला, 6-7 दिसंबर 2011, अंक 1: कार्यशाला रिपोर्ट, नई दिल्ली यूनेस्को एवं यूनिसेफ
 - 2012बी। कार्यशाला संक्षेप: यूनेस्को यूनिसेफ, भारत में आंतरिक प्रवास एवं मानव विकास पर यूनेस्को-यूनिसेफ कार्यशाला, 6-7 दिसंबर 2011, अंक 2: कार्यशाला रिपोर्ट, नई दिल्ली यूनेस्को एवं यूनिसेफ।
- यूनिफेम, 2010, दक्षिण एशिया (ईडब्ल्यूएमडब्ल्यू) में प्रवासी महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट, 20 अगस्त, नई दिल्ली।

भारत में प्रमुख सकल प्रवास प्रवाह (वर्ष 0-9 के दौरान), 2001

उपाख्यान (जनसंख्या हजार में)



2011 में, भारत में आंतरिक प्रवास एवं मानव विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला (6-7 दिसम्बर 2011) का परिणामस्वरूप, भारत में आंतरिक प्रवास की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ ने भारत में आंतरिक प्रवास (आईएमआईआई) का आरंभ किया। आईएमआईआई के माध्यम से, यूनेस्को एवं यूनिसेफ अनुसंधान, नीति एवं समर्थन का तीन पक्षीय उपागम का उपयोग करते हुए देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रवासियों को सामाजिक रूप शामिल करने के लिए समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की।

आईएमआईआई, अब 200 शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं जैसे प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम), यूएन-हेबीटेट एवं यूएन महिलाएं ने भारत में आंतरिक प्रवास के परिपक्ष्य के उत्थान का निश्चय किया और नीति में परिवर्तन एवं रचनात्मक कार्यों का प्रस्ताव किया। यूनेस्को और यूनिसेफ विशेष रूप से इन विशेषज्ञों के आभारी हैं जिन्होंने नीति समीक्षा की अग्रणी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान अमूल्य टिप्पणियां एवं सुझाव दिए:

इंदु अग्निहोत्री, मृदुला बजाज, राम बी. भगत, अंजली बोरहाडे, उमी डैनियल, प्रिया देशिंगकर, मरीना फेटानिनी, स्वेजी गुड, साईकृष्णा कंचन, राजीव खडेलवाल, थियाडोरा स्विफ्ट कोलर, नितिन कुमार, इंद्राणी मजूमदार, स्मिता मित्रा, नीता एन पिल्लई, एस इरूदया रंजन, अमृता शर्मा, शैलेंद्र सिगदल, कुलवंत सिंह, स्मिता, रवि एस. श्रीवास्तव, रामैया सुब्रहमण्यम, रूक्मिणी तन्खा, अलीशेर उमराव, एन व्हाइटहेड।

भारत में आंतरिक प्रवासन पहल



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization